ब्रीफ न्यूज

भारतीय वायु सेना का 8वां विमान सहायता सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा

नई दिल्ली, आरएनएन। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत लगातार मदद कर रहा है और बुधवार को मानवीय सहायता लेकर वायुसेना की आठवीं उड़ान काठमांडू पहुंची। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने 26 अगस्त से अब तक आठ विशेष उड़ानों के जरिए नेपाल को 130 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी है। साथ ही 54 विशेषज्ञों को बचाव, राहत और फॉरेंसिक काम में मदद के लिए तैनात किया गया है। राहत सामग्री में अस्थायी आश्रय, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाइयों के अलावा सुरंग और कीचड़ में बचाव के उपकरण, डीएनए किट, पोर्टेबल जनरेटर, लाइटिंग टावर और पानी निकालने वाले पंप शामिल हैं।

कर्नाटक में ईडी ने मारा जरकीहोली के 15 से अधिक ठिकानों पर छापा

बेंगलुरु, आरएनएन। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को फेमा के तहत चल रही जांच के सिलसिले में कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जरकीहोली और उनके सहयोगियों से जुड़े 15 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित विदेशी निवेश और वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत बेंगलुरु, बेलगावी और गोवा में की गई। छापेमारी में बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी स्थित श्री जरकीहोली के निजी आवास और सरकार की ओर से आवंटित उनके सरकारी आवास के अलावा बेलगावी स्थित उनके आवास तथा उनके परिवार और सहयोगियों से जुड़े अन्य परिसरों की तलाशी ली गयी।

अगर हूती संघर्ष सऊदी अरब तक फैला, तो पाकिस्तान करेगा हमला

इस्लामाबाद, आरएनएन। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर यमन का संघर्ष सऊदी अरब की सीमा में फैलता है, तो सऊदी अरब और तुर्की के साथ त्रिपक्षीय मक्का रक्षा गठबंधन लागू हो सकता है। आसिफ ने यह बात यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा मंगलवार को सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर किये गये हमलों के बाद कही है जिसमें 73 लोग घायल हुए हैं।

यूएस युद्धपोत पर हमले के बाद अमेरिकी सेना का घातक पलटवार

अमेरिका ने नष्ट कर दिए ईरान के सात तेल टैंकर

ईरान-अमेरिका के बीच टैंकर हमले से युद्ध का नया चरण हुआ शुरू

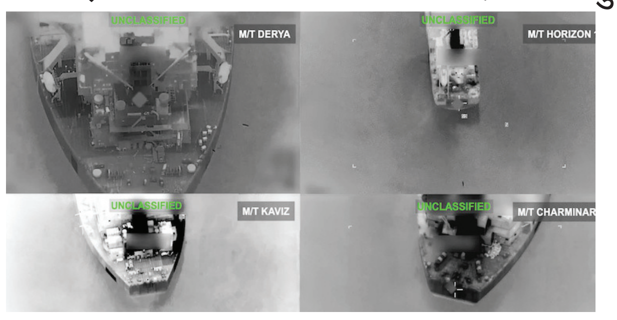

● वॉशिंगटन / राज न्यूज नेटवर्क

अमेरिकी मध्य कमान (सेंटकॉम) ने कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) द्वारा कथित रूप से एक अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किए जाने के बाद अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी मंगलवार रात से ईरान के सात तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया है। ईरान-अमेरिका में बीच टैंकर हमलें से युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है।

इस तनाव के कारण जुलाई के बाद पहली बार ग्लोबल ऑयल की कीमतें कुछ समय के लिए 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.3% बढ़ी, लेकिन बाद में इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई सेंटकॉम ने एक्स पर लिखा कि 8 सितंबर को सेंटकॉम की सेना ने ईरान के कच्चे तेल का परिवहन करने वाले पांच जहाज़ों को नष्ट कर दिया। इससे पहले, आईआरजीसी ने पिछले दो दिनों में दो बार बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यूएस युद्धपोत ईरान के हमलों से सफलतापूर्वक बच निकला और इलाके के समुद्र में गश्त करता रहा।

अमेरिकी स्मार्ट पनडुब्बी को आईआरजीसी ने पकड़ा

ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि मंगलवार को उन्होंने रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज में अमेरिका की एक बिना चालक वाली पनडुब्बी को कब्जे में ले लिया। तेहरान ने पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे युद्ध के दौरान इस जलमार्ग की घेराबंदी कर रखी है। सरकारी टीवी पर जारी एक बयान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि आईआरजीसी की नौसेना ने आज तड़के एक जटिल खुफिया और ऑपरेशनल कार्रवाई के तहत होर्मुज के प्रवेश द्वार पर अमेरिकी आतंकवादी सेना की सबसे आधुनिक, बिना चालक वाली और स्मार्ट पनडुब्बियों में से एक को कब्जे में ले लिया। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सरकारी समर्थन वाले प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आईआरजीसी ने कहा है कि वह आने वाले कुछ घंटों में पकड़े गए अमेरिकी उपकरण की तस्वीरें और विस्तृत वीडियो फुटेज जारी करेगा।

अहमदाबाद मंडल के दो कर्मियों को संरक्षा अवार्ड

अहमदाबाद, आरएनएन। पश्चिम रेलवे के जीएम रामाश्रय पाण्डेय द्वारा उत्कृष्ट कार्य, सतर्कता एवं सुरक्षित ट्रेन संचालन में अहम योगदान के लिए रेल कर्मियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें अहमदाबाद मंडल के दो कर्मचारी, धर्मवीर मेहता एवं कोमल सिंह, शामिल हैं। दोनों कर्मियों को अपनी सूझबूझ, कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित निर्णय क्षमता से संभावित दुर्घटनाओं को टालने तथा रेलवे की संरक्षा में योगदान देने के लिए मैन ऑफ द मन्थ संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धर्मवीर मेहता, पॉइंट्स मैन, साबरमती कोचिंग टर्मिनल 14 जुलाई.2026 को साबरमती कोचिंग टर्मिनल पर 07:00 से 15:00 बजे की पारी में कार्यरत पॉइंट्स मैन धर्मवीर मेहता ने अपनी सतर्कता एवं सूझबूझ से संभावित बड़ी घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं कोमल सिंह, पॉइंट्समैन, मोढाला 21 जुलाई.2026 को पॉइंट्समैन कोमल सिंह द्वारा दोषपूर्ण वैगन की समय रहते पहचान करना उनकी कार्यकुशलता, सतर्कता एवं संरक्षा के प्रति सजगता को दर्शाता है।

आज का इतिहास

- **1847** : हवाई द्वीप में पहला थियेटर खुला।
- **1785**: प्रशिया ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- **1846** : एलायस होवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया।
- **1872** : प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह का जन्म।
- **1887**: भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत का जन्म।
- **1912**: भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बी. डी. जत्ती का जन्म।
- **1926** : जर्मनी मित्र राष्ट्रों के संघ में शामिल हो गया।
- **1939** : कनाडा ने द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की।
- **2022** : भारत के प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् ब्रज बासी लाल का निधन।
- **2025** : अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की यूटा वैली विश्वविद्यालय में मंच पर हत्या।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) के माध्यम से ई–नीलामी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक –रतलाम मंडल –पश्चिम रेलवे ने नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) के माध्यम से ई–नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को www.ireps.gov.in के (ई–ऑक्शन लीजिंग) पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है। **क्र. सं. : (1) ऑक्शन केटलॉग सं.** : PnU-RTM-RR-26-7 **अनुबंध का प्रकार** : Pay & Use **लॉट नं.** : PnU-RTM-DADN-WRL-56-26-1. (Pay and Use - Lounges / Waiting / Retiring / Cloak Rooms). **क्र. सं. : (2) ऑक्शन केटलॉग सं.** : ADVT-RTM-26-25 **अनुबंध का प्रकार** : Advertising **लॉट नं.** : ADVT-RTM-DWX-OSN-173-26-1. (Advertising - On Station Premise (Non - Digital). **अनुबंध की अवधि : क्र. सं.** : 1 और 2 के लिए – 05 Years **ई– नीलामी की तिथि : क्र. सं.** : 1 और 2 के लिए – 18/09/2026, **समय : क्र. सं.** : 1 और 2 के लिए – 12:00 बजे। **क्र. सं. : (3) ऑक्शन केटलॉग सं.** : PnU-RTM-RR-26-8 **अनुबंध का प्रकार** : Pay & Use **लॉट नं.** : PnU-RTM-RTM-WRL-50-26-1. (Pay and Use - Lounges / Waiting / Retiring / Cloak Rooms). **क्र. सं. : (4) ऑक्शन केटलॉग सं.** : ADVT-RTM-OOH-26 **अनुबंध का प्रकार** : Advertising **लॉट नं.** : ADVT-RTM-INDB-OH-172-26-2. (Advertising - Out of Home). **अनुबंध की अवधि : क्र. सं.** : 3 और 4 के लिए – 05 Years **ई– नीलामी की तिथि : क्र. सं.** : 3 और 4 के लिए – 21/09/2026, **समय : क्र. सं.** : 3 और 4 के लिए – 12:00 बजे। • प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। **ireps** के ई –ऑक्शन मॉड्यूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

SNP-244

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

SHAMROCK OVERSEAS LIMITED

PUBLIC NOTICE

NOTICE FOR IMPORT, SELF-MANUFACTURE AND SALE OF FERTILIZERS

We are pleased to inform the general public that **Shamrock Overseas Limited intends to self-manufacture and import, market, store and sell the following fertilizers in the State of Madhya Pradesh and other States,** subject to the provisions of the **Fertilizer (Control) Order, 1985 (FCO)** and other applicable rules, regulations and Government notifications:

S. No.	Product Name	Category
A.	IMPORTED 100% WATER SOLUBLE MIXTURE FERTILIZERS	
01	NPK 00:60:20	Imported
02	NPK 15:00:15	Imported
B.	IMPORTED NP COMPLEX FERTILIZER	
01	Ammonium Poly-Phosphate – 10:34:00	Imported
C.	100% WATER SOLUBLE MIXTURE FERTILIZERS	Self-Manufactured
01	NPK 13:40:13	Self-Manufactured
02	NPK 19:19:19	Self-Manufactured
03	NPK 16:08:24	Self-Manufactured

The above products shall be **imported and/or self-manufactured, marketed, stored and sold strictly in accordance with the applicable provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985 (FCO), including the prescribed specifications, standards, labelling and other statutory requirements,** as applicable. Any person having any **objection or suggestion** regarding the import, self-manufacture, marketing, storage or sale of the above-mentioned products may submit the same in writing before the **Competent Authority, Department of Farmer Welfare & Agriculture Development, Government of Madhya Pradesh,** within the prescribed period. **For SHAMROCK OVERSEAS LIMITED, Raipur, Chhattisgarh**

::न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला–खण्डवा::

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी केपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेंस लिमि० प्लाट नं. 103/104, कृष्णा टॉवर, आफिस नं. 101 एवं 103 प्रथम तल स्कीम नं. 140, पिपलियाहाना चौराहा इन्दौर ने उनके अधिवक्ता श्री पराग गोखले के माध्यम से दिनांक 30.06.2026 को Securitisation and Reconstruction of financial Assets and Enforcement of Security Interest Act2002 के तहत् ऋणी श्री रूपचंद दांगोडे पिता राजाराम दांगोडे, श्रीमती लक्ष्मीबाई दांगोडे पति रूपचंद दांगोडे, श्री जयपाल दांगोडे पिता रूपचंद दांगोडे एवं श्री सतीष दांगोडे पिता रूपचंद दांगोडे सभी निवासी मकान नं. 211 वार्ड नं. 46 पानी की टंकी के पास, किशोर नगर खण्डवा तहसील खण्डवा से बंधक संपत्ति तहसील खण्डवा स्थित प.ह.नं. 116 खसरा नं. 161/2/1/1/2, 161/2/1/2 एवं 161/4 भू परिवर्तन होकर कॉलोनी के स्वीकृत नक्शे अनुसार भूखण्ड कमांक 21 क्षेत्रफल 1235 वर्गफुट अर्थात 114.77 वर्गमीटर रेणुका विहार कॉलोनी ग्राम सिंगोट तहसील खण्डवा जिला खण्डवा जो कि श्रीमती लक्ष्मीबाई दांगोडे पति रूपचंद दांगोडे के नाम से है का आधिपत्य दिलवाने हेतु एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत अनुरोध किया है।

2–इस विज्ञप्ति के माध्यम से ऋणी श्री रूपचंद दांगोडे पिता राजाराम दांगोडे, श्रीमती लक्ष्मीबाई दांगोडे पति रूपचंद दांगोडे, श्री जयपाल दांगोडे पिता रूपचंद दांगोडे एवं श्री सतीष दांगोडे पिता रूपचंद दांगोडे सभी निवासी मकान नं. 211 वार्ड नं. 46 पानी की टंकी के पास, किशोर नगर खण्डवा तहसील खण्डवा को सूचित किया जाता है कि वह कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खण्डवा के न्यायालय में प्रकरण में नियत तिथि 15.09.2026 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य रुप से उपस्थित होवें। अनावेदक/बकायादार की अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में निर्णय लिया जावेगा।

(ऋषव गुप्ता)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला–खण्डवा.

खण्डवा दिनांक 07.09.2026

HDFC BANK We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय, एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013 **विशेष संचालन विभागः** स्कीम नं. 94, ब्रिलिएंट एवेन्यू, बॉम्बे हॉस्पीटल के पीछे, रिंग रोड, इंदौर–452010

अधिग्रहण सूचना

अधोहस्ताक्षरी, **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **07.10.2024** को एक **मांग सूचना** जारी की जिसमें नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं एवं गारंटरों से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लेखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है।

ऋणकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण ऋणकर्ता, जमानतदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट, रतलाम (मध्य प्रदेश) के द्वारा 09.07.2026 को जारी आदेश के अनुसार** उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, इस पर नियम 9 के साथ पठित के तहत, दिनांक **07.09.2026** को कमिशनर/तहसीलदार के द्वारा निम्न दर्शाई वर्णित संपत्ति का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता, गारंटर और अचल संपत्ति आदि का विवरण

सं. क्र.	नाम	बंधक संपत्ति	मांग सूचना तिथि	नोटिस में उल्लिखित राशि*
1.	**मेसर्स वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड** (कर्जदार/मॉर्गेजर)	पटवारी हल्का नंबर 57 पर इंडस्ट्रीयल संपत्ति, कुमारी, नगर पालिका जावरा, इंडस्ट्रियल एरिया, जावरा, रतलाम, मध्य प्रदेश–457226, रतलाम नाका के पास वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कुल एरिया 217800 वर्ग फुट है। **सीमायें:** उत्तर अरिहंत वेयर हाउस की प्राइवेट जमीन और खुली जमीन, दक्षिण बीड एरिया की खुली जमीन, पूर्व बीड एरिया की प्रस्तावित सड़क के लिए खुली जमीन, पश्चिम बीड एरिया की खुली जमीन।	07.10.2024	रु. 8,17,87,670.39/–
2.	**श्री कमल कुमार पालीवाल** (निदेशक और गारंटर)			
3.	**श्री कर्मेश संकल्प मिरिटिया** (निदेशक और गारंटर)			
4.	**श्री राहुल नरेंद्र जैन** (गारंटर)			
5.	**श्रीमती शिवाली ए. शुक्ला** (गारंटर)			

*आज तक का आगामी ब्याज भी वसूली तक देय है।

विशेष रूप से उधारकर्ता एवं गारंटर तथा आम जनता को एतद् द्वारा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन **30.09.2024** तक राशि **रू. 8,17,87,670.39/– (रुपये आठ करोड़ सत्रह लाख सत्यासी हजार छह सौ सत्तर और पैसे उनचालीस मात्र)** और **01.10.2024** से उस पर ब्याज के लिये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

दिनांकः 07.09.2026
स्थानः जावरा (मध्य प्रदेश)

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए,
प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

श्री छत्रसाल सिंह (कॉर्पोरेट देनदार मैसर्स बारमेंद्र एग्रोटेक (प्रा.) लि. के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम (पीजी)	श्री छत्रसाल सिंह
2.	कॉरपोरेट देनदार का नाम, पता और सीन	मैसर्स बारमेंद्र एग्रोटेक (प्रा.) लिमिटेड पताः किला, डाकघर उंचेहरा, जिला सतना, मध्य प्रदेश – 485661, सीनः U24211MP2006PTC018387
3.	व्यक्तिगत गारंटर के निवास का पता	किला, उचेहरा सतना, मध्य प्रदेश 485661
4.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश का विवरण	माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर पीठ ने मैसर्स बारमेंद्र एग्रोटेक (प्रा.) लि. की व्यक्तिगत गारंटर श्री छत्रसाल सिंह के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया को वाद संख्या CP(IB)40(MP)2024 के माध्यम से स्वीकार कर लिया है।
5.	आईबीसी, 2016 के अंतर्गत पीजी के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख	02.09.2026 (आदेश की प्रति 07.09.2026 को प्राप्त हुई)
6.	समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री अनुज माहेश्वरी IBBI/IPA-001/IP-P-02907/2024-2025/14460
7.	बोर्ड के पास पंजीकृत समाधान पेशेवर का पत्राचार का पता और ई–मेल	प्रणाम, 5, तुलसी विला, 3/1, ओल्ड पलासिया, ग्रेटर कैलाश रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452018 ई–मेलः ipanujmaheshwari@gmail.com
8.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	प्रणाम, 5, तुलसी विला, 3/1, ओल्ड पलासिया, ग्रेटर कैलाश रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452018 ई–मेलः pg.barmendra@gmail.com
9.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	01.10.2026
10.	प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं:	वेबलिंक https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर पीठ ने 02.09.2026 को श्री छत्रसाल सिंह (कॉर्पोरेट देनदार – मेसर्स बारमेंद्र एग्रोटेक (प्रा.) लि. के व्यक्तिगत गारंटर, के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 07.09.2026 को प्राप्त हुई)।

श्री छत्रसाल सिंह के लेनदारों से एतद्वारा आह्वान किया जाता है कि वे 01.10.2026 को या उससे पूर्व प्रविष्टि संख्या 8 के समक्ष उल्लिखित पते पर समाधान पेशेवर के समक्ष प्रमाण सहित अपने दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार प्रमाण सहित अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

सीए अनुज माहेश्वरी
IBBI/IPA-001/IP-P-02907/2024-2025/14460
AFA वैधता 31.12.2026 तक

दिनांकः 10.09.2026
स्थानः इंदौर

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

श्रीमती उमा कुमारी सिंह (कॉर्पोरेट देनदार मैसर्स बारमेंद्र एग्रोटेक (प्रा.) लि. के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम (पीजी)	श्रीमती उमा कुमारी सिंह
2.	कॉरपोरेट देनदार का नाम, पता और सीन	मैसर्स बारमेंद्र एग्रोटेक (प्रा.) लिमिटेड पताः किला, डाकघर उंचेहरा, जिला सतना, मध्य प्रदेश – 485661, सीनः U24211MP2006PTC018387
3.	व्यक्तिगत गारंटर के निवास का पता	किला, उचेहरा सतना, मध्य प्रदेश 485661
4.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश का विवरण	माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर पीठ ने मैसर्स बारमेंद्र एग्रोटेक (प्रा.) लि. की व्यक्तिगत गारंटर श्रीमती उमा कुमारी सिंह के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया को वाद संख्या CP(IB)39(MP)2024 के माध्यम से स्वीकार कर लिया है।
5.	आईबीसी, 2016 के अंतर्गत पीजी के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख	02.09.2026 (आदेश की प्रति 07.09.2026 को प्राप्त हुई)
6.	समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री अनुज माहेश्वरी IBBI/IPA-001/IP-P-02907/2024-2025/14460
7.	बोर्ड के पास पंजीकृत समाधान पेशेवर का पत्राचार का पता और ई–मेल	प्रणाम, 5, तुलसी विला, 3/1, ओल्ड पलासिया, ग्रेटर कैलाश रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452018 ई–मेलः ipanujmaheshwari@gmail.com
8.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	प्रणाम, 5, तुलसी विला, 3/1, ओल्ड पलासिया, ग्रेटर कैलाश रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452018 ई–मेलः pg.barmendra@gmail.com
9.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	01.10.2026
10.	प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं:	वेबलिंक https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर पीठ ने 02.09.2026 को श्रीमती उमा कुमारी सिंह (कॉर्पोरेट देनदार – मेसर्स बारमेंद्र एग्रोटेक (प्रा.) लि. के व्यक्तिगत गारंटर, के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 07.09.2026 को प्राप्त हुई)।

श्रीमती उमा कुमारी सिंह के लेनदारों से एतद्वारा आह्वान किया जाता है कि वे 01.10.2026 को या उससे पूर्व प्रविष्टि संख्या 8 के समक्ष उल्लिखित पते पर समाधान पेशेवर के समक्ष प्रमाण सहित अपने दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार प्रमाण सहित अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

सीए अनुज माहेश्वरी
IBBI/IPA-001/IP-P-02907/2024-2025/14460
AFA वैधता 31.12.2026 तक

दिनांकः 10.09.2026
स्थानः इंदौर

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0002/अ-82/2026-27

क्रमांक : 856/भू-अर्जन/2026 — **इन्दौर, दिनांक : 07.09.2026**

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। चूँकि उक्त परियोजना के अंतर्गत ही **ग्राम जिंदाखेड़ा** में पूर्व के **राजस्व प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2025-26** की कार्यवाही की गई थी, जिसके क्रम में अब आवश्यकतानुसार इस नए प्रकरण में अतिरिक्त भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है (जो कि पूर्व के अर्जन में शामिल नहीं थी)। उक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) किया जा चुका है, जिसका मूल्यांकन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन में विशेषज्ञ समूह द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस परियोजना के निर्माण से स्थानीय क्षेत्र का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो कि जनहित/लोकहित में है। साथ ही, समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित न होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। अत: समान परियोजना, समान ग्राम तथा निरंतरता में होने वाले इस अतिरिक्त रकबे/सर्वेक्षण संख्या के अर्जन हेतु भी पूर्व प्रकरण में संपादित धारा-4 एवं धारा-7 की समस्त कार्यवाहियों को पूर्णत: मान्य किया जाता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	0.271 हेक्टर

अनुसूची (2)

(1) भूमि का विवरण

(क)	जिला	:-	इन्दौर
(ख)	तहसील	:-	हातोद
(ग)	ग्राम	:-	जिंदाखेड़ा
(घ)	निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:-	0.271 हेक्ट.

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	110/1/1	0.062	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
2	110/1/2	0.011		
3	110/5/1/1	0.016		
4	110/5/1/2	0.013		
5	110/5/1/3	0.169		
	कुल रकबा	**0.271**		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से **60 (साठ) दिनों के भीतर** किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में **कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद** के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./- (शिवम वर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला इन्दौर (म.प्र.)

म.प्र. माध्यम/127971/2026

Piramal Finance

पंजीकृत कार्यालय पताः यूनिट नंबर–601, 6वां तल, पिरामल अमिटी बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई–400 070
सीआईएनः **L65910MH1984PLC032639**, वेबसाइटः– **www.piramalfinance.com**

मांग सूचना

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के सेक्शन 13(2) के तहत, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के रूल 3 (1) के साथ। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उपरोक्त एक्ट) के तहत पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (PFL) (पहले पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के रूल 3 के साथ पढ़े गए एक्ट के सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम के सेक्शन 13(2) के तहत मांग सूचना जारी किए हैं, जिसमें नीचे दिए गए ऋणकर्ता(ओं) ("उक्त ऋणकर्ता(ओं)") से कहा गया है कि वे उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस(स) में बताई गई रकम चुका दें, जो नीचे भी दिए गए हैं। इस संबंध में, उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के 60 दिनों के अंदर, नीचे दर्शाई गई रकम, साथ ही उक्त मांग सूचना(ओं) में दिए गए ब्याज के साथ, नीचे बताई गई तारीख(खों) से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा किए गए अन्य दस्तावेजों/लिखित रूप में, अगर कोई हों, के साथ पठित ऋण अनुबंध के तहत देय, पीएफएल को भुगतान करें। ऋण के सही भुगतान के लिए धरोहर के तौर पर, इन ऋणकर्ता(ओं) ने पीएफएल के पास क्रमशः निम्न दर्शाई संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) /गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस तिथि और राशि और एनपीए तिथि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(इंदौर ब्रांच का LC नंबर M0076427) अजीत सखी (ऋणकर्ता) विनीता लाई सखी (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथिः 17–08–2026/ रु. 39,22,775/– (रूपये उनचालीस लाख बाईस हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) एनपीए (03–08–2026)	प्रॉपर्टी हाउस नंबर 36, एमआईजी प्रथम तल, तीन पुलिया, परदेशीपुरा, इंदौर जिला इंदौर म.प्र. एरिया–69. 30 वर्ग मी.
2.	(इंदौर ब्रांच का LC नंबर M0086248) मोहन खांडे (ऋणकर्ता) राधा खांडे (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथिः 17–08–2026/ रु. 36,79,281/– (रूपये छत्तीस लाख उन्यासी हजार दो सौ इक्यासी मात्र) एनपीए (03–08–2026)	यह प्रॉपर्टी फ्लैट नंबर 201, "समृद्धि एलीट" का सेकंड फ्लोर है, जो प्लॉट नंबर 05 पर बना है और "अरिहा एन्क्लेव", ग्राम तेजपुर गड़बड़ी, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में है। सुपर बिल्ट अप 1777 वर्ग फुट है।
3.	(इंदौर ब्रांच का LC नंबर HLSA000E004D) आनंद मोयडे (ऋणकर्ता) सीमा मोयडे (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथिः 17–08–2026/ रु. 36,49,916/ – (रूपये छत्तीस लाख उनचास हजार नौ सौ सोलह मात्र) एनपीए (03–08–2026)	संपत्ति विवरणः प्लॉट नंबर 121 का हिस्सा, कृषि विहार कॉलोनी, गांव हरन्याखेड़ी, तहसील महू, इंदौर, जिसका माप 750 वर्ग फुट है।
4.	(ग्वालियर ब्रांच का LC नंबर BLSA0007AA83) मनीष खान (ऋणकर्ता) काले खान (सह–ऋणकर्ता 1) मदीना (सह–ऋणकर्ता 2)	तिथिः 17–08–2026/ रु. 26,44,908/ – (रूपये छब्बीस लाख चौवालीस हजार नौ सौ आठ मात्र) एनपीए (03–08–2026)	सेल डीड के अनुसार, प्रॉपर्टी प्लॉट प्रॉपर्टी के तौर पर, गांव मेहगांव, पी.एच. नंबर 40, रा. नि. मान. मेहगांव, तहसील मेहगांव और जिला भिंड (मध्य प्रदेश) में है। नगर पंचायत मेहगांव वार्ड नंबर 12, लैंड सर्वे नंबर 1706 गांव मेहगांव का हिस्सा। एरिया 1549 वर्ग फुट है।
5.	(इंदौर ब्रांच का LC नंबर HLSA000DC10F) नवीन राठौर (ऋणकर्ता) अमिता राठौर (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथिः 17–08–2026/ रु. 24,98,562/ – (रूपये चौबीस लाख अट्ठानवे हजार पांच सौ बासठ मात्र) एनपीए (03–08–2026)	प्लॉट नंबर 323 वाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का सारा अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट, जिसका माप 1008 वर्ग फुट है। 93.68 वर्ग मी. "ट्यूलिप ग्रांडे", गांव राजोदा, तहसील सांवेर और जिला इंदौर, मप्र में मौजूद।
6.	जबलपुर ब्रांच का LC नंबर HLSA00098750 शकील खान (ऋणकर्ता) रुखसार खान (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथिः 17–08–2026/ रु. 23,61,078/ – (रूपये तेईस लाख इकसठ हजार अठहत्तर मात्र) एनपीए (03–08–2026)	प्लॉट मौजा अमखेरा, एनबी 04, पीएच नंबर 22/24 (पुराना) 80 (नया) हल्का–अमखेरा, आरएनएम महाराजपुर में है, डायवर्टेड जमीन का हिस्सा जिसका खसरा नंबर 49/2 है, म्यूटेशन डायवर्सन के बाद खसरा नंबर 49/2/2/1/2 प्राइवेट लेआउट का हिस्सा प्लॉट नंबर 34 एरिया 25'x25' 625 वर्ग फीट (58.06 वर्ग मी.) कंस्ट्रक्शन के साथ, नगर निगम वार्ड नंबर 74 तहसील–पनागर (पुराना) अधारताल (नया) और जिला– जबलपुर (मप्र)।
7.	(इटारसी ब्रांच का LC नंबर HLSA00061E00 और BLSA000184A1) मोहित पटवा (ऋणकर्ता) पुष्पा पटवा (सह–ऋणकर्ता 1) अभिषेक पटवा (सह–ऋणकर्ता 2) राजकुमार पटवा (सह–ऋणकर्ता 3)	07–08–2026/ रु. 29,16,912/ – (रूपये उनतीस लाख सोलह हजार नौ सौ बारह सिर्फ) एनपीए (03–06–2025)	प्लॉट नंबर 22/2–A/2 शीट नंबर 43 पटवारी हल्का नंबर 12, होशंगाबाद–461111
8.	(भोपाल ब्रांच का LC नंबर BLSA00057EEA सलीम खान (ऋणकर्ता) जुबेदा बी (सह–ऋणकर्ता 1) मोहम्मद लतीफ खान (सह–ऋणकर्ता 2) श्री मलक देवकॉन (सह–ऋणकर्ता 3)	18–08–2026/ रु. 82,84,754/ – (रूपये बयासी लाख चौरासी हजार सात सौ चौवन रुपये) एनपीए (09–07–2026)	एक रेजिडेंशियल मकान/प्लॉट नंबर 274, एयरो सिटी फेज–1, (बीडीए द्वारा डेवलप किया गया) जिसमें एरिया 2324.16 वर्ग फीट है, खसरा नंबर 425/2, 425/1, 430/2/1, 384, 398/1/2, 401, 173/2, 445/1, 443/1–444, 172/1, 449, 173/1, 440/1, 364/3, 365/1, 366/2, 367, 375/1, 393/3, 396, 397, 398/1/1, 410/1 का हिस्सा, 402/1–402/2, 404, 435/2मिन–1, 432, 435, 408, 177/2–177/1/1, 177/3, 177/4, 177/1/2, 410/2, गोदरमऊ गांव में स्थित, नगर निगम वार्ड नंबर 01, तहसील– हुजूर, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) के अंतर्गत आता है, जिसकी सीमा इस प्रकार है:–
9.	(भोपाल ब्रांच का LC नंबर 13400001338) श्री राकेश सिंह (ऋणकर्ता) सुनीता सिंह (सह–ऋणकर्ता 1)	18–08–2026/ रु. 45,05,694/ – (रूपये पैंतालीस लाख पाँच हजार छह सौ चौरानबे रुपये) एनपीए (09–07–2026)	मकान नं. ई–2/340, अरेरा कॉलोनी, सेक्टर ई–2, भोपाल, मध्य प्रदेश, हुजूर– 462011, लैंडमार्क–नर्मदा हॉस्पिटल

अगर उपरोक्त ऋणकर्तागण पीएफएल को दर्शाए गए तरीके से भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो पीएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत ऊपर दर्शाई गई सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिसका पूरा जोखिम, लागत और परिणाम पूर्ण रूप से दर्शाए गए ऋणकर्तागण का होगा। बताए गए ऋणकर्तागण को अधिनियम के तहत पीएफएल की पूर्व अनुमति के बिना, बिक्री, लीज या किसी और तरह से, ऊपर दर्शाई गई संपत्तियों को स्थांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो दर्शाए गए अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत जेल और/या जुर्माना हो सकता है।

तिथिः 10 सितंबर, 2026
दिनांकः मध्य प्रदेश

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
पिरामल फाइनेंस लिमिटेड